रिटेल क्रेडिट कार्ड के लिए

अति महत्वपूर्ण

नियम एवं शर्तें

MITC

अति महत्वपूर्ण नियम व शर्तें तथा यहाँ दी गई सभी जानकारी सभी क्रेडिट कार्डधारकों/क्रेडिट कार्ड के आवेदकों/बैंक के ग्राहकों/बैंक के क्रेडिट कार्ड उत्पाद के प्रति रुचि दिखाने वाले सामान्य जन पर तत्काल प्रभाव से लागू होती है। अति महत्वपूर्ण नियम व शर्तें परिवर्तन के अधीन है। उल्लेखित अति महत्वपूर्ण नियम व शर्तें बैंक और कार्डधारक के बीच हुए समझौते के नियमों और शर्तों के अतिरिक्त हैं तथा उन्हें उनके साथ ही पढ़ा जाना चाहिए।/पठित है

बैंक ग्राहक को कम से कम एक महीने के भीतर सूचित करके, जैसा वह उचित समझे/अथवा नियामक परिवर्तनों के अनुसार समय-समय पर किसी भी प्रभार या शुल्क या शर्तों में बदलाव करने या कोई नया प्रभार अथवा शुल्क लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

अद्यतन जानकारी के लिए कृपया https://pnbcard.in पर जाएं

क) **प्रभारों की अनुसूची**

1. ज्वाइनिंग, वार्षिक और ऐड-ऑन कार्ड शुल्क

कार्ड के प्रकार	**ज्वाइनिंग शुल्क**	**वार्षिक शुल्क**	**वार्षिक शुल्क में छूट**
वीज़ा क्लासिक	शून्य	शून्य	लागू नही
वीज़ा गोल्ड	शून्य	300/-	निम्नलिखित शर्तों पर: क) यदि पिछले वर्ष में कार्ड का उपयोग कार्ड की क्रेडिट सीमा से अधिक है। ख) प्रत्येक कैलेंडर तिमाही में कम से कम एक रिटेल लेन-देन (अर्थात ईंधन या नकद निकासी के अतिरिक्त) होता है। ग) खाता पूर्व में कभी भी अनियमित नहीं रहा हो।
वीज़ा प्लेटिनम	शून्य 500/- (प्रत्येक ऐड-ऑन कार्ड के लिए)	500/-	
वीज़ा सिग्नेचर	1500/- (ऐड ऑन के लिए 500 रू.)	2000/-	यदि पिछले वर्ष में कार्ड से वार्षिक खर्च रू.3,00,000 या उससे अधिक है।
रुपे प्लैटिनम	शून्य	500/-	यदि पिछले वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार कार्ड का उपयोग किया गया है।
रुपे सेलेक्ट	500/-	750/-	
रुपे मिलेनियल	399/- (ऐड ऑन के लिए रू.399)	999/-	यदि पिछले वर्ष में कार्ड से वार्षिक खर्च रू.1,00,000 या उससे अधिक है।

MITC

रुपे रक्षक प्लैटिनम	शून्य	500/-	
रुपे रक्षक सेलेक्ट	शून्य	750/-	यदि, पिछले वर्ष प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार कार्ड का उपयोग किया जाता है।
पीएनबी पतंजलि प्लैटिनम सह ब्रांड	शून्य	500/-	
पीएनबी पतंजलि सेलेक्ट सह- ब्रांड	500/- (प्रत्येक ऐड ऑन के लिए रू.500)	750/-	यदि,कार्ड का उपयोग पिछले वर्ष प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार किया जाता है।
पीएनबी ईएमटी सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड	2000/-	2000/-	यदि पिछले वर्ष कार्ड पर वार्षिक रु 1,00,000 /- या उससे अधिक खर्च हुआ हो ।

नोट :

1. [1] जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष को कैलेंडर वर्ष के रूप में लिया जाता है।
2. प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को वित्तीय वर्ष माना जाता है।
3. अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के मार्च तक के तीन महीनों के प्रत्येक ब्लॉक को तिमाही कहा जाता है। (पहली तिमाही अप्रैल से जून,दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर,तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर और चौथी तिमाही जनवरी से मार्च)
4. स्टाफ सदस्यों से अनुरोध है कि वे स्टाफ दरों/प्रभारों आदि, यदि कोई हो, के लिए परिपत्रों का अवलोकन करें/संदर्भ लें।
5. सभी छूटों की गणना कैलेंडर वर्ष के आधार पर की जाएगी।
6. नकद निकासी, वापसी और शुल्क एवं प्रभार वार्षिक शुल्क प्रभारी सीमा गणना में छूट के लिए पात्र नहीं होंगे ।

2. वित्त/ब्याज प्रभार

1. क्रेडिट कार्ड पर मासिक ब्याज दर 2.95% है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 35.89% है।
2. एफडी पर जारी क्रेडिट कार्ड पर मासिक ब्याज दर 1.5% है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 19.56% है।
3. 3,6,9 और 12 महीने की अवधि के लिए त्वरित/तत्काल समान मासिक किस्त (त्वरित/तत्काल ईएमआई *) पर ब्याज की दर की 12% प्रति वर्ष है।
   (* त्वरित ईएमआई से अभिप्राय लेन-देन के दौरान लेन-देन राशि को ईएमआई के रूप में परिवर्तित करना)

MITC

4. 18 और 24 महीने की अवधि के लिए तत्काल ईएमआई पर ब्याज की दर 14% प्रति वर्ष है।
5. अन्य ईएमआई पर ब्याज दर 18% प्रति वर्ष है।
6. इंस्टा ईएमआई के लिए प्रसंस्करण/प्रोसेसिंग शुल्क लेन-देन राशि का 2% या रू.100/- जो भी अधिक हो, है
7. अन्य ईएमआई के लिए प्रोसेसिंग शुल्क लेन-देन राशि का 2% या रू. 200/-, जो भी अधिक हो, है
8. ईएमआई सुविधा पर पूर्वभुगतान शुल्क बकाया राशि का 3% है।
9. एफडी पर क्रेडिट कार्ड पर इंस्टा ईएमआई और ईएमआई के लिए कोई पूर्वभुगतान शुल्क नहीं होगा।

लिया जाने वाला ब्याज/ ब्याज लिया जाएगा

- यदि कुल देय राशि का भुगतान निर्धारित समय पर अर्थात भुगतान की नियत तिथि तक नहीं किया जाता है, तो सभी नए लेन-देन (लेन-देन की तिथि से) सहित कुल देय राशि पर ब्याज लगाया जाएगा, जब तक कि पिछली सभी बकाया राशि का पूरा भुगतान नहीं हो जाता।
- निकासी की तिथि से भुगतान की तिथि तक सभी नकद अग्रिमों पर ब्याज लगाया जाएगा।प्रभारित किया जाएगा ।
- यदि भुगतान देय तिथि के बाद न्यूनतम देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो विलंबित भुगतान शुल्क/ब्याज लगाया जाएगा।
- अन्य क्रेडिट कार्ड खातों से शेष राशि अंतरण के मामले में, अंतरण की गई राशि पर और संबंधित कार्ड खाते पर बकाया किसी भी खरीद राशि पर बैंकर चेक/एनईएफटी जारी करने की तारीख से तुरंत वित्त शुल्क लगाया जाएगा।

उपर्युक्त वित्त प्रभार/शुल्क कार्ड खाता बंद होने के बाद भी देय रहेंगे, जब तक कि कार्ड पर बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता ।

3) अन्य शुल्क एवं प्रभार

नकद निकासी शुल्क	घरेलू पीएनबी एटीएम: आहरित नकदी का 2% या (रुपे सेलेक्ट और मिलेनियल के लिए रु. 150/- और अन्य कार्डों के लिए रु. 100/-) जो भी अधिक हो।
	घरेलू अन्य एटीएम: आहरित/निकाली गई नकदी का 2% या (रुपे सेलेक्ट और मिलेनियल के लिए रु. 200/- / अन्य कार्डों के लिए रु. 150 /-) जो भी अधिक हो।

	विदेश में: आहरित/निकाली गई नकदी का 2% या (रुपे प्लैटिनम के लिए रु. 250/-/ अन्य कार्ड के लिए रु. 300 /-) जो भी अधिक हो।
डुप्लीकेट विवरणी/स्टेटमेंट फीस/शुल्क (तीन महीने से अधिक)	सभी कार्डों के लिए रु. 50/- एफडी के प्रति कार्ड के लिए निःशुल्क।
लंबित भुगतान शुल्क	यदि कुल देय भुगतान रु. 100/ - तक है तो शून्य।
	यदि कुल देय भुगतान रू. 101/- और रु. 1,000/-के बीच है तो रु. 200/-
	रु. 500/- यदि कुल देय भुगतान रु. के बीच है। 1001/- और रु. 5,000/-.
	यदि कुल देय भुगतान रू. 5,001/- और रु.10,000/-के बीच है, तो रु. 600/-
	यदि कुल देय भुगतान रू. 10,000/- से अधिक है,तो रु. 750/-
सीमा से अधिक शुल्क	सीमा से अधिक राशि का 2.5% (एफडी पर कार्ड के लिए न्यूनतम रु. 500/- और रु. 250/-)।
पुनर्प्राप्ति फीस शुल्क पर्ची	रु. 100/-.
चेक वापसी या अस्वीकृत चेक शुल्क या ऑटो डेबिट रिवर्सल **(निधि से बैंक खाता)**	रुपे कार्ड रू. 200/- प्रति लिखत। वीज़ा क्लासिक/गोल्ड- रू. 100/- प्रति लिखत। अन्य कार्ड रू. 250/- प्रति लिखत। (एफडी पर कार्ड के लिए रु 100/-.)।
रेलवे टिकट की खरीद या रद्दीकरण पर अधिभार	काउंटर पर: लेन-देन राशि पर 2.5%। आईआरसीटीसी वेबसाइट: लेन-देन राशि के 1.8% तक। (लेन-देन राशि में टिकट शुल्क + रेलवे/आईआरसीटीसी द्वारा सेवा शुल्क शामिल है)।
ईंधन लेन-देन अधिभार	न्यूनतम रु. 10 या लेन-देन राशि का 1% (वीज़ा गोल्ड और क्लासिक में रू. 400 से रू. 3,000 के बीच ईंधन लेन-देन पर प्रतिदान। वीज़ा प्लैटिनम और सिग्नेचर में रू. 500 से रू. 4,000 के बीच ईंधन लेन-देन पर प्रतिदान)। न्यूनतम रू. 12.50 या लेन-देन राशि का 1% (रू. 500 से रू. 4,000 के बीच ईंधन लेन-देन पर प्रतिदान), रू. कार्ड के लिए अधिकतम रू. 250 प्रति विवरणी/स्टेटमेंट चक्र, प्लेटिनम कार्ड के लिए तथा सेलेक्ट एवं मिलेनियल कार्ड के लिए रू. 350/- प्रति विवरणी/स्टेटमेंट चक्र तक।

MITC

	कृपया ध्यान दें - • कार्ड जारीकर्ता बैंक द्वारा ईंधन लेन-देन पर, ईंधन अधिभार नहीं लगाया जाता है। • कुछ ईंधन लेन-देन पर, ईंधन अधिभार 1% + जीएसटी के स्थान पर रू. 10 + जीएसटी के रूप में लगाया जा सकता है। ग्राहक को प्रदान की जाने वाली ईंधन अधिभार छूट क्रेडिट कार्ड पर संबंधित मूल्य प्रस्ताव/विशेषता के अनुसार होगी, चाहे अधिभार कुछ भी हो। ईंधन अधिभार (यदि कोई हो) पर लगाए गए कर में छूट नहीं दी जाएगी तथा इसका भुगतान कार्डधारक द्वारा किया जाएगा।
विदेशी मुद्रा लेन-देन शुल्क	सभी कार्डों के लिए मुद्रा रूपांतरण दर के अतिरिक्त लेन-देन मूल्य का 3.50% है।
शेष अंतरण प्रक्रिया शुल्क बैलेंस ट्रांसफर प्रोसेसिंग शुल्क	अंतरण राशि का 1% या रु.199/-, जो अधिक हो।
प्रतिस्थापन शुल्क	रुपे कार्ड - रु. 200/- प्रति लिखत। वीज़ा क्लासिक/गोल्ड- रू. 100/- प्रति लिखत। अन्य कार्ड रु.250/- प्रति लिखत। एफडी पर कार्ड के लिए रु.100/-

नोट:

i) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जीएसटी सभी शुल्कों, ब्याज और अन्य प्रभारों पर लागू है, तथा भारत सरकार के प्रासंगिक विनियमों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है।

ii) बैंक को समय-समय पर किसी भी प्रभार या शुल्क में बदलाव/परिवर्तन करने या कोई नया प्रभार या शुल्क लागू करने का अधिकार है, जैसा कि वह उचित समझे, जिसकी सूचना ग्राहक को कम से कम एक माह पूर्व देनी होगी।

- **कुल देय राशि (टीएडी**): कुल देय राशि, कार्डधारक द्वारा बिलिंग चक्र के अंत में क्रेडिट कार्ड विवरणी के तैयार होने के अनुसार देय है।
- **न्यूनतम देय राशि (एमएडी): यह** कुल बिल राशि के एक हिस्से के रूप में न्यूनतम राशि है, जिसे कार्डधारक को भुगतान करना होता है ताकि इसे अतिदेय बिल न माना जाए।
  (प्रत्येक माह केवल न्यूनतम देय राशि (एमएडी) का भुगतान करने से पुनर्भुगतान में महीनों/वर्षों का समय लगेगा, जिसके परिणामस्वरूप बकाया राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा।)
- **विलंबित भुगतान शुल्क:** विलंबित भुगतान शुल्क कार्डधारक से लिया जाता है। यदि कोई भुगतान नहीं हुआ

MITC

है या न्यूनतम देय राशि से कम भुगतान किया गया है तो, कार्डधारक को भुगतान देय तिथि पर या उससे पहले पीएनबी क्रेडिट कार्ड खाते में धनराशि जमा करनी होगी, ताकि विलंबित भुगतान शुल्क से बचा जा सके।

नोट/ध्यान दें: विलंबित भुगतान शुल्क केवल बकाया राशि पर लगाया जाएगा (देय तिथि से पहले प्राप्त किसी भी भुगतान को घटाकर/समायोजन कर) कुल बकाया राशि पर नहीं।

- **नकद निकासी शुल्क:** कार्डधारक एटीएम से नकद निकासी हेतु पीएनबी क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकता है। भारत या विदेश में, उक्त एटीएम पर पीएनबी क्रेडिट कार्ड की **अनुकूलता** के अनुसार, उनकी उपयोग वरीयता/प्राथमिकता पर निर्भर करता है। उपर्युक्त उल्लिखित प्रभारों के अनुसार ऐसी निकासी पर लेन-देन शुल्क लगाया जाएगा और अगली विवरणी में कार्डधारक के बिल में किया जाएगा। ये प्रभार केवल बैंक प्रभार हैं। कुछ एटीएम निकासी प्रभार लेंगे, जो बैंक से नहीं जुड़े हैं।

- **सीमा से अधिक शुल्क:** बैंक कार्डधारक द्वारा किए गए कुछ ऐसे लेन-देन को मंजूरी दे सकता है जो क्रेडिट सीमा का उल्लंघन कर सकते हैं, सीमा से अधिक राशि का 2.5% (न्यूनतम रू. 500/- के अधीन) सीमा से अधिक राशि शुल्क लगाया जाएगा। सीमा से अधिक स्थिति, शुल्क या ब्याज प्रभार के कारण उत्पन्न हो सकती है। बैंक सीमा से अधिक सुविधा की सदस्यता लेने वाले कार्डधारक से सहमति सुनिश्चित करेगा। हालाँकि, ऐसे परिदृश्य हो सकते हैं जहाँ उपयोग अभी भी स्वीकृत क्रेडिट सीमा से अधिक हो , जहाँ कार्डधारक से स्पष्ट सहमति प्राप्त न हुई हो।

- **विदेशी मुद्रा में प्रभार:** यदि कोई लेन-देन भारतीय रूपये के अलावा अन्य मुद्रा में किया जाता है, तो वह लेन-देन भारतीय रू. में परिवर्तित हो जाएगा। रूपांतरण पंजाब नैशनल बैंक के साथ लेन-देन के निपटान की तिथि पर होगा, जो कि वह तिथि नहीं हो सकती जिस दिन लेन-देन किया गया था। यदि लेन-देन अमेरिकी डॉलर में नहीं है, तो रूपान्तरण अमेरिकी डॉलर के माध्यम से चार्ज/शुल्क राशि को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करके और फिर अमेरिकी डॉलर की राशि को भारतीय रूपये में रूपांतरण किया जाएगा। जब तक लागू कानून द्वारा एक विशिष्ट दर की आवश्यकता नहीं होती है, अमेरिकी डॉलर से भारतीय रू. में रूपांतरण दर कार्ड नेटवर्क द्वारा प्रदान की गई दरों पर होगी, जैसा भी मामला हो, निपटान तिथि पर, मुद्रा रूपांतरण कारक मूल्यांकन (वर्तमान में 3.50) द्वारा बढ़ाया जाएगा। ऐसे लेन-देन पर ग्राहक द्वारा शुरू किए गए ऐसे विदेशी लेन-देन के प्रतिदान पर अतिरिक्त 3.5% शुल्क भी लगेगा।

ब्याज गणना पद्धति

ग्राहक द्वारा परिक्रामी सुविधा का उपयोग करने के दौरान किए गए सभी लेन-देन पर ब्याज लगाया जाएगा । (परिक्रामी ऋण है और पिछले महीने में कुल देय राशि (TAD) से कम भुगतान किया है)। इसका एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

MITC

- विवरणी चक्र – प्रत्येक माह की16 से 15 तारीख तक
- विवरणी जनरेशन तिथि – प्रत्येक माह की 16 तारीख
- भुगतान की देय तिथि – प्रत्येक माह की 4 तारीख
- भुगतान की अंतिम तिथि (3 दिवस छूट सहित) – प्रत्येक माह की 7 तारीख
- ब्याज दर – 2.95% प्रति माह

चक्र 1: 16 अगस्त से 15 सितंबर

20 अगस्त को की गई खरीदारी : रू. 10,000/-

विवरण चक्र में कोई अन्य खरीद नहीं

16 सितंबर को रू. 10,000 की विवरणी जेनरेट की गई, जिसकी देय/भुगतान तिथि 4 अक्तूबर है।

कुल देय राशि (टीएडी): रू.10,000/-

न्यूनतम देय राशि (एमएडी): रू. 500/-

चक्र 2: 16 सितंबर से 15 अक्टूबर

20 सितंबर को देय न्यूनतम राशि का भुगतान : रू. 500/-

25 सितंबर को रू. 3,000/- का नया लेन-देन किया गया ।

16 अक्टूबर (विवरणी जेनरेट करने की तिथि) को ब्याज प्रभार में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होंगे:

1. 20 अगस्त से 20 सितंबर तक रू. 10,000/- शेष पर ब्याज:

रूपये 10,000*32 दिन*2.95%*12/365 = रू. 314.69/-

2. 21 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रू. 9,500 शेष पर ब्याज:

रूपये 9,500*25 दिन*2.95%*12/365 = रू. 233.46/-

3. 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रू. 3,000 की शेष राशि पर ब्याज:

रूपये 3,000*21 दिन*2.95%*12/365 = रू. 61.93/-

4. कुल ब्याज पर 18% जीएसटी:

18% *(314.69+233.46+61.93) = रू. 109.82/-

- कुल प्रभार (314.69+233.46+61.93+109.82): रू. 719.90/-
- 16 अक्तूबर को शेष राशि : 12500 + 719.90 = रू. 13,219.90/-

- दूसरे चक्र/दूसरी साइकल के अंत में कुल देय राशि रूपये 13219.90 के साथ विवरणी जेनरेट की गई।

न्यूनतम देय राशि = (खरीदारी/नकद निकासी) का 5% + (ब्याज/वित्त शुल्क, सभी शुल्क, ऋण, कर) का 100% =>

12,500 + 719.90 का 5% = रू. 1344.90/-

16 सितंबर से 15 अक्तूबर तक के लिए MAD= रू. 1344.90/-

टीएडी = एक बिलिंग चक्र में देय कुल राशि

एमएडी = एक बिलिंग चक्र में न्यूनतम देय राशि। वर्तमान में (खरीदारी/नकद निकासी) का 5% + (ब्याज/वित्त शुल्क, सभी शुल्क, ऋण, कर) का 100%

बी) क्रेडिट और नकद निकासी / अग्रिम शुल्क

- **क्रेडिट सीमा:** यह कार्डधारक को दी गई सीमा है। सभी लेन-देन, शुल्क और प्रभार सहित कुल बकाया राशि इस सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- **नकद सीमा:** यह नकद अग्रिम सीमा कार्डधारक को दी गई सीमा: । यह सीमा क्रेडिट सीमा से कम है, और समग्र क्रेडिट सीमा का एक उपसमूह है। वर्तमान में बैंक उपभोक्ता क्रेडिट कार्ड (गैर-व्यावसायिक/ क्रेडिट कार्ड) के लिए कुल क्रेडिट सीमा का 20% नकद सीमा के रूप में दे रहा है।
  एटीएम से निकाली गई नकदी पर लेन-देन शुल्क लगाया जाता है। साथ ही, नकद लेन-देन पर हमेशा लेन-देन की तारीख से ब्याज अर्जित होता है, खुदरा खरीद के विपरीत, जहां ब्याज अर्जन भुगतान देय तिथि तक 100% शेष राशि के भुगतान पर निर्भर करता है।

- **उपलब्ध क्रेडिट सीमा:** किसी भी समय उपलब्ध क्रेडिट सीमा निर्दिष्ट क्रेडिट सीमा और उस समय कार्ड पर कुल बकाया राशि के बीच का अंतर है। ऐड-ऑन कार्डधारक(कों) प्राथमिक कार्डधारक को दी गई इस क्रेडिट सीमा को साझा करेंगे

- **उपलब्ध नकदी सीमा:** किसी भी समय उपलब्ध नकदी सीमा, दी गई नकदी सीमा और उस समय कार्ड पर कुल बकाया नकदी शेष के बीच का अंतर है।

- **अंतर्राष्ट्रीय सीमा: अंतर्राष्ट्रीय सीमा** ग्राहक **द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए** निर्धारित सीमा है । यह केवल उन ग्राहकों पर लागू है जो इसके लिए पात्र हैं और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उपयोग का विकल्प चुना है। क्रेडिट, नकद और अंतर्राष्ट्रीय (यदि कोई हो) सीमा प्रत्येक कार्डधारक के लिए अलग-अलग होगी, क्रेडिट और नकद सीमा की जानकारी कार्डधारक को कार्ड की डिलीवरी के समय स्वागत पत्र द्वारा दी जाएगी, और मासिक विवरणी में भी कार्डधारक को इसकी जानकारी दी जाएगी। प्रत्येक मासिक विवरणी के जेनरेशन के समय उपलब्ध क्रेडिट सीमा उक्त विवरणी के एक भाग के रूप में प्रदान की जाती है।

  - ग्राहक बैंक की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक दस्तावेज जमा करके मौजूदा क्रेडिट सीमा की समीक्षा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ऐसी समीक्षा और वृद्धि (यदि कोई हो) बैंक के एकल विवेकाधिकार पर निर्भर है ।

सी) क्रेडिट - निःशुल्क अवधि

लेन-देन की तिथि के अनुसार/आधार पर ब्याज-रहित रियायत अवधि 20 से 50 दिनों तक हो सकती है। यदि पिछले माह के बिल का कोई शेष अभी भी बकाया है, तो ब्याज-रहित क्रेडिट अवधि निलंबित कर दी जाती है।

रियायत अवधि की गणना के लिए उदाहरण: 20 जून से 19 जुलाई तक की अवधि के लिए **भुगतान की देय तिथि 9** अगस्त होगी । यह मानते हुए कि मिस्टर एक्स ने भुगतान देय तिथि तक पिछले माह के विवरणी की अपनी कुल देय राशि का भुगतान कर दिया है, रियायत अवधि होगी:

1. 24 जून, को की गई खरीदारी के लिए ब्याज रहित रियायत अवधि 24 जून से 9 अगस्त तक है, अर्थात 46 दिन ।
2. 14 जुलाई, को की गई खरीदारी के लिए , ब्याज-रहित रियायत अवधि 14 जुलाई से 9 अगस्त तक अर्थात 26 दिन है। इस प्रकार , खरीद की तिथि के आधार पर रियायत अवधि अलग-अलग हो सकती है। हालाँकि, यदि पिछले माह की कुल देय राशि का भुगतान भुगतान देय तिथि तक नहीं किया जाता है, तो नि:शुल्क क्रेडिट अवधि समाप्त हो जाएगी और कोई ब्याज-मुक्त अवधि नहीं होगी। नकद अग्रिम के लिए, लेन-देन की तारीख से भुगतान की तारीख तक ब्याज लगाया जाता है।

डी) बिलिंग एवं विवरणी

i] बिलिंग विवरणी - आवधिकता और भेजने का माध्यम: बैंक, अपने रिकॉर्ड के अनुसार आपके पत्राचार के पते/ई-मेल पते पर, माह में एक बार किसी भी लेन-देन या कार्ड खाते पर रू. 100/- से अधिक के बकाया के लिए एक विवरणी/ई-स्टेटमेंट भेजेगा। विवरणी प्राप्त न होने पर इस समझौते के तहत आपके दायित्वों और देनदारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप भुगतान देय तिथि के भीतर कार्ड पर बकाया राशि का निपटान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। बैंक कार्ड-सदस्य को एक मासिक विवरणी भेजेगा जिसमें अंतिम विवरणी के बाद से कार्ड-सदस्य के खाते में जमा किए गए भुगतान और डेबिट किए गए लेन-देन प्रदर्शित होंगे। बैंक प्रत्येक माह एक पूर्व-निर्धारित तिथि पर कार्ड खाते में लेन-देन की विवरणी बैंक में दर्ज डाक पते/ईमेल आईडी पर भेज देगा। विवरणी का माध्यम ग्राहक की चयन/पसंद के अनुसार भौतिक/ईमेल होगा।

ii]बैंक, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त सभी डेबिट और लगाए गए प्रभारों के लिए कार्ड खाते को डेबिट करेगा, तथा कार्डधारक द्वारा बैंक को किए गए सभी भुगतानों और कार्डधारक के पक्ष में प्राप्त किसी भी भुगतान के लिए कार्ड खाते को क्रेडिट करेगा।

iii] बैंक कार्डधारक को एक परिक्रामी क्रेडिट सुविधा का प्रस्ताव दे सकता है, जिसमें कार्डधारक विवरणी में दर्शाई गई न्यूनतम देय राशि (एमएडी) का ही भुगतान का चयन कर सकता है। कार्डधारक से कुल देय राशि (टीएडी) या एमएडी का भुगतान कार्डधारक को भुगतान देय तिथि पर या उससे पहले करना होगा, जो विवरणी में भी दर्शाई गई है।

iv] भुगतान देय तिथि तक एमएडी के गैर- भुगतान पर आपको पीएनबी क्रेडिट कार्ड की निकासी या निलंबन (अस्थायी या स्थायी रूप से) का जोखिम उठाना पड़ सकता है। ऐसे भुगतान न करने पर भी शुल्क लगाया जाएगा। बैंक, अपने एकल विवेकाधिकार से, मर्चेन्ट प्रतिष्ठान को पीएनबी क्रेडिट कार्ड को स्वीकार न करने का और/या कार्ड एसोसिएशन सिस्टम में कार्ड नंबर को हॉटलिस्ट करके कार्ड को अपने कब्जे में लेने का निर्देश भी दे सकता है।

v] ग्राहक बिलिंग अवधि के दौरान भुगतान देय तिथि से पूर्व न्यूनतम देय राशि से अधिक का भुगतान कर सकता है, या देय तिथि से पहले किसी भी समय कार्ड खाते में बकाया राशि का भुगतान कर सकता है।

vi] आपके कार्ड खाते में किए गए भुगतान निम्न क्रम में विभाजित किए जाएंगे:

1. करों सहित शुल्क और प्रभार
2. ब्याज प्रभार
3. नकद अग्रिम
4. ईएमआई
5. शेष राशि अंतरण
6. खरीदारी

vii] यदि ग्राहक द्वारा जारी किए गए किसी भी भुगतान निर्देश को बाद में अस्वीकृत किया जाता है, तो कार्ड विशेषाधिकारों को निलंबित/समाप्त किया जा सकता है और बैंक के पूर्ण एकल विवेकाधिकार पर प्रभारों की अनुसूची में उल्लिखित शुल्क कार्ड खाते में लगाया जाएगा। ऐसी शुल्क राशि बैंक के विवेकानुसार परिवर्तन के अधीन है। बैंक के पास कोई भी उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

viii] केवल ग्राहक के पूर्व अनुरोध पर बैंक द्वारा ग्राहक को मासिक खाता विवरणी की अनुलिपि प्रदान की जाएगी, जो शुल्क अनुसूची में उल्लिखित सेवा शुल्क के भुगतान के अधीन होगा और जिसे बैंक के विवेकाधिकार पर बदला जा सकता है।

ix] पत्राचार पते/ईमेल पते में किसी भी परिवर्तन/बदलाव के मामले में, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत बैंक से संपर्क करें और इसे अद्यतन/अपडेट करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राहक को नियमित रूप से और समय पर विवरणी प्राप्त हो।

x] बिलिंग विवाद - विवरणी(यों) की सभी सामग्री सही और कार्डधारक द्वारा स्वीकार्य मानी जाएगी, जब तक कि विवरण जारी होने के 60 दिनों के भीतर, कार्डधारक किसी भी विसंगति के बारे में बैंक को सूचित न करे। यदि उपर्युक्त विसंगतियां बैंक द्वारा वैध पाई जाती हैं, तो वह बैंक द्वारा पूर्ण और अंतिम संतुष्टि तक

जांच पूर्ण होने तक अस्थायी आधार पर आरोप को वापस कर सकता है। यदि बैंक द्वारा की गई उक्त जांच से संकेत मिलता है कि इस तरह के (विसंगतियों) शुल्क की देता उक्त कार्डधारक(ओं) की है, तो शुल्क को बाद के विवरणी में बहाल कर दिया जाएगा और बैंक द्वारा शुल्कों की अनुसूची में दर्शाए गए शुल्कों के अनुसार शुल्क/प्रभार का दावा किया जाएगा।

xi] ईएमआई सुविधा का लाभ उठाने पर, यदि मूल लेन-देन पर कोई रिवॉर्ड प्वाइंट अर्जित हुआ है तो उसे रिवर्स कर दिया जाएगा।

xii] ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार कम से कम एक बार* बैंक के कॉल सेंटर, 18001802345 पर संपर्क करके या creditcardpnb@pnb.co.in पर ईमेल भेजकर या अद्यतन पते के रूप में एमआईटीसी में भौतिक पत्र भेजकर* से बिलिंग चक्र में संशोधन के लिए अनुरोध कर सकते हैं, बशर्ते कि वे बकाया राशि का भुगतान करें, . पंजीकृत मेल आईडी/मोबाइल नंबर से भेजे गए अनुरोध स्वीकार किए जाएंगे

(* नियामक दिशानिर्देशों या बैंक के विवेक के अनुसार समय-समय पर परिवर्तन के अधीन)

नोट: 1. प्रत्येक माह केवल न्यूनतम भुगतान करने से आपके बकाया शेष पर परिणामी चक्रवृद्धि ब्याज भुगतान के साथ पुनर्भुगतान कई महीनों/वर्षों तक बढ़ जाएगा।

2. यदि पिछले माह का कोई भी बिल बकाया है तो 'ब्याज रहित क्रेडिट अवधि' सुविधा निलंबित कर दी जाती है।

ई) यूपीआई पर पंजाब नैशनल बैंक रूपे क्रेडिट कार्ड

ये नियम और शर्तें उपयोगकर्ता और पंजाब नैशनल बैंक के बीच अनुबंध हैं और ये ऊपर सूचीबद्ध क्रेडिट कार्ड एमआईटीसी के अतिरिक्त होंगी, न कि उससे अलग।

यह सुविधा केवल पात्रता मानदंडों को पूर्ण करने वाले उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाएगी और यह पंजाब नैशनल बैंक के पूर्ण एकल विवेकाधिकार पर प्रदान की जाएगी और पंजाब नैशनल बैंक द्वारा उपयोगकर्ताओं को पूर्व सूचना देकर या दिए बिना किसी भी समय इसे बंद किया जा सकता है।

सेवा की शर्तें

यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड (सीसी) के लिए ये नियम व शर्तें पंजाब नैशनल बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान किए गए किसी भी खाते या किसी अन्य सुविधा के सामान्य नियम व शर्तों के अतिरिक्त हैं।

1. यह सुविधा उपयोगकर्ता के अनुरोध पर पंजाब नैशनल बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति के अधीन प्रदान की जाएगी।

2. ग्राहक को यूपीआई ऐप से लिंक करने के लिए अपने पंजाब नैशनल बैंक रूपे क्रेडिट कार्ड से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करना होगा।
3. रुपे क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने और यूपीआई ऐप के माध्यम से भुगतान लेन-देन को प्रमाणित करने के लिए उपयोगकर्ता को 6 अंकों का यूपीआई पिन सेट करना होगा। यूपीआई लेन-देन को प्रमाणित करने के लिए 4 अंकों के क्रेडिट कार्ड पिन पर विचार नहीं किया जाएगा ।
4. यूपीआई पिन सेट अप को सभी प्रकार के लेन-देन के लिए क्रेडिट कार्ड सक्षमता हेतु ग्राहक की सहमति माना जाएगा ।
5. उपयोगकर्ता केवल रुपे नेटवर्क पर अनुमत P2M (व्यक्ति से व्यापारी) लेन-देन कर सकता है
6. यदि आपके यूपीआई ऐप पर अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन सक्षम हैं, तो यूपीआई लेन-देन पर **सीसी** की भी अनुमति होगी
7. पी2पी (पीयर टू पीयर), पी2 पीएम (पीयर टू पीयर और मर्चेंट), डिजिटल खाता खोलना, ऋण देने वाला प्लेटफॉर्म, मर्चेंट के यहां नकद निकासी, एटीएम से नकद निकासी, ईआरयूपीआई, आईपीओ, विदेशी आवक विप्रेषण, म्यूचुअल फंड और पंजाब नैशनल बैंक/आरबीआई द्वारा प्रतिबंधित किसी भी अन्य श्रेणी में लेन-देन की अनुमति नहीं है।
8. क्रेडिट कार्ड लेन-देन पर लागू कोई भी शुल्क, वित्त प्रभार, अधिभार या मार्क-अप यूपीआई लेन-देन पर भी लागू होगा ।
9. यूपीआई लेन-देन पर क्रेडिट कार्ड से नकद निकासी की अनुमति नहीं होगी ।
10. यूपीआई पर सीसी के प्रति किया गया कोई भी लेन-देन आपकी मौजूदा क्रेडिट कार्ड सीमा से कटौती की जाएगी।
11. पंजाब नैशनल बैंक या उस यूपीआई ऐप से जुड़कर प्रभार वापसी या प्रतिदान प्राप्त किया जा सकता है जिस पर लेन-देन पूरा किया गया था।
12. यदि ईंधन अधिभार लगाया जाता है तो पंजाब नैशनल बैंक के चयनित रुपे क्रेडिट कार्ड के मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार छूट दी जाएगी।
13. यह सुविधा पंजाब नैशनल बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड को धनराशि प्राप्त करने के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं करेगी ।
14. रुपे क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण के मामले में , उपयोगकर्ता को अद्यतन किए गए क्रेडिट कार्ड विवरण के साथ यूपीआई ऐप पर पुन: पंजीकरण करना होगा ।
15. डिवाइस बदलने की स्थिति में, उपयोगकर्ता को उसी सिम के साथ यूपीआई ऐप पर क्रेडिट कार्ड के लिए पुन: पंजीकरण करना होगा। पिछले डिवाइस में इंस्टॉल किया गया एप्लिकेशन डी-रजिस्टर हो जाएगा।

एफ) क्रेडिट कार्ड का उपयोग

1. क्रेडिट कार्ड केवल व्यक्तिगत खर्चों और उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है। कार्डधारक को किसी भी वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए वाणिज्यिक या कारोबारी उद्देश्यों हेतु पुनर्विक्रय के लिए कुछ भी खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल वैध, वास्तविक व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए और इसका उपयोग किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग, असामाजिक या सट्टेबाजी गतिविधियों के लिए या कारोबार में वाणिज्यिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए कार्यशील पूंजीगत उद्देश्यों हेतु)

2. कार्ड का उपयोग फोरेक्स ट्रेडिंग, लॉटरी, सट्टेबाजी, जुआ, डेटिंग, बिटकॉइन, आभासी मुद्रा और सेबी द्वारा समय-समय पर लागू भूमि कानून, नियामकों, किसी भी अन्य निषिद्ध उद्देश्यों से जुड़े लेन-देन के लिए नहीं किया जाएगा।

3. जॉइनिंग/वार्षिक शुल्क, विदेशी मुद्रा मार्कअप, जीएसटी/वैट, डीसीसी, ईंधन अधिभार, विलंबित भुगतान शुल्क, डेबिट ब्याज, किराया अधिभार शुल्क, चेक बाउंस शुल्क आदि जैसे शुल्कों के अतिरिक्त सभी व्ययों को माइलस्टोन व्यय के रूप में माना जाता है।

4. कार्ड धारकों को अपने क्रेडिट कार्ड में अतिरिक्त भुगतान करने और उच्च मूल्य के लेन-देन को स्वीकार करने के लिए अपनी स्वीकृत ऋण/क्रेडिट सीमा को कृत्रिम रूप से बढ़ाने की अनुमति नहीं है । कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि, यदि आवश्यक हो तो वे ऋण/क्रेडिट सीमा में वृद्धि के लिए बैंक से संपर्क करें।

5. आरबीआई के अधिदेश के अनुसार यदि प्रतिबंधित एमसीसी कोड पर लेन-देन पाया जाता है तो बैंक को क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने का अधिकार है।

6. यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग नियामक दिशानिर्देशों, नियमों और शर्तों और बैंक की लागू नीतियों के अनुसार किया जा रहा है, बैंक को इसका पता लगाने के लिए क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर समय-समय पर जांच करने का अधिकार होगा कि क्या क्रेडिट सीमा से अधिक क्रेडिट कार्ड का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। एक विवरणी चक्र में स्वीकृत सीमा, कुछ चुनिंदा व्यापारियों पर असामान्य या अत्यधिक उपयोग, दूसरे क्रेडिट कार्ड/ऋण का पुनर्भुगतान करना, बचत खाते में धनराशि अंतरित करना, व्यापारी के साथ संभावित संपर्क और/या गैर-व्यक्तिगत/कारोबारी आवश्यकताओं के लिए उपयोग, अनुचित रिवॉर्ड पॉइंट/कैश बैक/अन्य लाभों के संचय के लिए सुविधाओं/ऑफर/कार्यक्रमों का अत्यधिक उपयोग/दुरुपयोग। ऐसे परिदृश्य में, पंजाब नैशनल बैंक, अपने एकल विवेकाधिकार पर, संबंधित क्रेडिट कार्ड और उसके अतिरिक्त/ऐड-ऑन कार्ड को रद्द करने और ग्राहक स्तर पर अर्जित कैशबैक/इनाम अंक को बिना किसी नोटिस के रोक/रद्द करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। पंजाब नैशनल बैंक कार्डधारक से फोन पर या औपचारिक संचार के किसी अन्य माध्यम से भी पूछताछ कर सकता है और क्रेडिट कार्ड लेन-देन, उपयोग के पैटर्न आदि के बारे में विवरण, जानकारी, साक्ष्य आदि मांग सकता है। कार्डधारक से गैर-संतोषजनक प्रतिक्रिया या कोई प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त होने पर पंजाब नैशनल बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक किया जा सकता है ।

7. यदि किसी कार्डधारक का पीएनबी क्रेडिट कार्ड किसी भी समय या कारण से बंद कर दिया जाता है, चाहे वह प्राथमिक कार्डधारक या बैंक द्वारा हो, तो प्राथमिक कार्डधारक को तुरंत रिवॉर्ड/कैशबैक अर्जित करने

हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और पीएनबी क्रेडिट कार्ड को स्वैच्छिक या अनैच्छिक रूप से रद्द करने के बाद अर्जित सभी अप्रयुक्त रिवॉर्ड/कैशबैक स्वत: तुरंत जब्त कर लिए जाएंगे।

8. ऐसे किसी मामले में कार्डधारक को एनओसी जारी नहीं की जा सकती है, जहां नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण बैंक द्वारा पीएनबी क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया गया हो।

9. यदि संबंधित तिथि को, कार्ड वापस ले लिया गया है या रद्द कर दिया गया है या रद्द किया जा सकता है या कार्ड सदस्य का खाता एक विलंबित खाता है, तो उसे रिवॉर्ड पॉइंट को रूपांतरित करके संचय या रीडिम करने की अनुमति नहीं होगी ।

10. बैंक किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के या बिना कोई भी कारण बताए किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान पर शुल्क के लिए प्राधिकरण को अस्वीकार कर सकता है,और/या कार्डधारक की कार्ड का उपयोग करने की क्षमता को प्रतिबंधित या निलंबित कर सकता है और/या रद्द कर सकता है। बैंक एटीएम, मर्चेन्ट प्रतिष्ठान के माध्यम से स्वयं ही क्रेडिट कार्ड को वापस ले सकता है/रख सकता है, अगर उसे यथोचित रूप से लगता है कि क्रेडिट या व्यावसायिक जोखिम के उचित प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है या अगर कार्ड या कार्ड खाते का दुरुपयोग किया जा रहा है या दुरुपयोग होने की संभावना है।

11. बैंक द्वारा किसी भी तरह से उत्तरदायी हुए बिना, बैंक अपने एकल विवेकाधिकार से कार्ड को निलंबित/वापस ले सकता है । कार्ड और इस कार्ड सदस्य समझौते का समापन स्वत: उससे जुड़े विशेषाधिकारों, लाभों और सुविधाओं का समापन कर देगा ।

12. क्रेडिट कार्ड जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर सक्रिय होना चाहिए, यदि ग्राहक द्वारा इसे जारी होने की तिथि से 30 दिनों से अधिक समय तक सक्रिय नहीं किया गया है और यदि कार्ड को सक्रिय करने के लिए कोई सहमति प्राप्त नहीं होती है, तो बैंक ग्राहक से पुष्टि प्राप्त करने की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर क्रेडिट कार्ड खाता बंद कर देगा। नवीनीकृत या प्रतिस्थापित कार्ड के मामले में, निष्क्रिय कार्ड को बंद करना कार्डधारक द्वारा सभी बकाया राशि के भुगतान के अधीन होगा।

13. यदि किसी क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक वर्ष से अधिक समय से नहीं किया गया है, तो कार्डधारक को सूचित करते हुए कार्ड को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि 30 दिनों की अवधि के भीतर कार्डधारक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो कार्डधारक द्वारा सभी बकाया राशि के भुगतान के अधीन, कार्ड खाता बंद कर दिया जाएगा।

नोट : वित्तीय लेन-देन के अतिरिक्त कार्ड धारक द्वारा शुरू की गई कोई भी प्रक्रिया जैसे विवरणी जेनरेट करना, पिन बदलना, लेन-देन नियंत्रण में बदलाव को कार्ड का उपयोग माना जाएगा।

जी) भुगतान की विधि

कार्ड खाते का भुगतान निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से किया जा सकता है:-

1. **नकद:** कार्डधारक पंजाब नैशनल बैंक की किसी भी शाखा में कार्ड के भुगतान के लिए नकदी जमा कर सकता है ।

2. **चेक/ड्राफ्ट: पीएनबी क्रेडिट कार्ड नंबर** xxxx xxxx xxxx xxxx (सोलह अंक) के पक्ष में चेक/ड्राफ्ट तैयार करें और उसे चेक ड्रॉप बॉक्स में जमा करें। ड्रॉप बॉक्स की सूची पीएनबी क्रेडिट कार्ड वेबसाइट www.pnbcard.in पर या क्रेडिट कार्ड लिंक के माध्यम से www.pnbindia.in पर उपलब्ध है। कृपया चेक के पीछे अपना नाम और संपर्क नंबर लिखना सुनिश्चित करें।
*यदि क्रेडिट कार्ड भुगतान की देय तिथि दूसरे और चौथे शनिवार या रविवार /छुट्टी के दिन है, तो चेक/नकद भुगतान स्वीकार करने के लिए शाखाएं बंद रहेंगी।

3. **इंटरनेट बैंकिंग:** पीएनबी के इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता के मामले में, ऐसे उपयोगकर्ता इंटरनेट बैंकिंग साइट पर लॉग-इन करने के बाद अपने खाते को क्रेडिट कार्ड से लिंक करके क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं। पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग-रिटेल-लॉग इन पृष्ठ पर क्रेडिट कार्ड एक्सेस के लिए उपयोगकर्ता गाइड उपलब्ध है ।

4. **ऑटो डेबिट** : पीएनबी के खाताधारक के मामले में, मासिक आधार पर क्रेडिट कार्ड बकाया के भुगतान के लिए तो 'न्यूनतम देय राशि' या 'कुल देय राशि' के भुगतान के लिए ऑटो डेबिट निर्देश दिए जा सकते हैं। 'ऑटो डेबिट' निर्देशों के विवरण और प्रारूप पीएनबी क्रेडिट कार्ड वेबसाइट www.pnbcard.in या www.pnbindia.in . पर उपलब्ध हैं।

5. **ऑटो पे प्रक्रिया** : पीएनबी के इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता क्रेडिट कार्ड बकाया के भुगतान के लिए अपने खाता आईडी को लिंक करके ऑटो डेबिट के लिए अधिदेश देकर स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं । कार्डधारक के पास न्यूनतम देय राशि (एमएडी) या कुल देय राशि (टीएडी) के लिए अधिदेश देने का विकल्प है। कार्डधारक अधिदेश को एमएडी से टीएडी या इसके विपरीतता परिवर्तन कर सकते हैं। कार्डधारक के पास ऑटो पे प्रक्रिया के लिए अधिदेश को रद्द करने का विकल्प भी है ।।

6. **पीएनबी एटीएम के माध्यम से:** पीएनबी डेबिट कार्डधारक पीएनबी डेबिट कार्ड का उपयोग करके पीएनबी के एटीएम पर पीएनबी क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं ।

7. **एनईएफटी:** पीएनबी क्रेडिट कार्ड धारक जो पीएनबी के अतिरिक्त किसी अन्य बैंक में भी खाते रखते हैं, वे एनईएफटी के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। उपयोगकर्ता निर्देश पीएनबी क्रेडिट कार्ड वेबसाइट www.pnbcard.in या www.pnbindia.in . पर उपलब्ध हैं।

8. **बिल डेस्क के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान -** पीएनबी के अतिरिक्त अन्य बैंकों में खाता रखने वाले क्रेडिट कार्डधारक अन्य चयनित बैंकों के इंटरनेट बैंकिंग चैनल का उपयोग करके बिल डेस्क के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। उपयोगकर्ता निर्देश पीएनबी क्रेडिट कार्ड वेबसाइट www.pnbcard.in या www.pnbindia.in . पर उपलब्ध हैं।
9. **पीएनबी वन ऐप** : पीएनबी ग्राहक क्रेडिट कार्ड बकाया/टीएडी/एमएडी या किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए

पीएनबी वन ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं।

नोट: कार्डधारकों को सलाह दी जाती है कि वे बैंक द्वारा अधिकृत माध्यमों के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से भुगतान करने से बचें।

तृतीय पक्ष चैनलों के माध्यम से भुगतान : पंजाब नैशनल बैंक कार्डधारकों को उपरोक्त निर्दिष्ट तरीकों के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड का बकाया के भुगतान करने की सलाह देता है। पंजाब नैशनल बैंक से गैर-संबद्ध किसी भी तृतीय पक्ष ऐप सहित अन्य चैनलों के माध्यम से किए गए किसी भी क्रेडिट कार्ड भुगतान में क्लीयरेंस के लिए टीएटी अधिक हो सकता है। यदि पंजाब नैशनल बैंक को नियत तिथि तक धनराशि प्राप्त नहीं होती है, तो कार्ड वेरियंट के अनुसार लागू शुल्क लागू होंगे/दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा। गैर-संबद्ध चैनलों के माध्यम से कार्ड के भुगतान में विलंब या विफलता होने के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न/पूछताछ के लिए, ग्राहक सीधे संबंधित तृतीय पक्ष से संपर्क कर सकते हैं ।

10. **अप्रवासी क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भुगतान :** बैंक अपने प्रवासी क्रेडिट कार्ड धारकों को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करता है और ऐसे खातों के लिए भुगतान पंजाब नैशनल बैंक के एनआरई खाते के माध्यम से होता है। ऐसे अप्रवासी क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए पंजाब नैशनल बैंक एनआरई खाते से ऑटो डेबिट अनिवार्य है। पंजाब नैशनल बैंक एनआरओ खाते से किए जाने वाले भुगतान के मामले में , जब भी आप एनआरओ खाते से भुगतान करना चाहते हैं, तो बैंक खाता चेक सहित कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। यदि किसी गैर एनआरई स्रोत से बिना आवश्यक दस्तावेज़ जमा नहीं किए भुगतान किया जाता है और, जहां बैंक गैर-एनआरई स्रोत स्थापित करने में सक्षम है या उसके पास यह मानने का कारण है कि यह गैर-एनआरई स्रोत से है, बैंक के पास कार्ड पर अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को निष्क्रिय करने का अधिकार है जब तक कि ऐसे दस्तावेज बैंक को उपलब्ध नहीं कराए जाते। ऐसे दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में, बैंक ग्राहक को 'मास्टर डाइरेक्शन फेमा-1999 के तहत (FED मास्टर डाइरेक्शन संख्या 4/2015-16 दिनांक 01 जनवरी, 2016 और 04 जनवरी, 2021 तक अद्यतन)। में शामिल कंपाउंडिंग फाइल का आदेश दे सकता है । कंपाउंडिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं।

    https://m.rbi.org.in/SCRIPTs/FAQView.aspx?Id=80 ।

धारिता की समाप्ति

कार्डधारक किसी भी समय,पूर्व सूचना देकर या बिना किसी पूर्व सूचना के कार्ड खाता समाप्त करने/समर्पित करने का विकल्प चुन सकता है। दुरुपयोग को रोकने के लिए, आमतौर पर क्रेडिट कार्ड को चार टुकड़ों में काटने की सलाह दी जाती है इससे यह सुनिश्चित होता है कि होलोग्राम और मैग्नेटिक स्ट्रिप स्थायी तौर पर खराब हो गई है। कार्डधारक किसी भी समय ग्राहक सेवा ईमेल आईडी creditcardpnb@pnb.co.in पर पूरा कार्ड नंबर बताकर या

ग्राहक सेवा 18001802345 पर कॉल करके कार्डधारिता समाप्त कर सकता **है। शाखा में जाकर भी इसके लिए अनुरोध किया जा सकता है।** पंजाब नैशनल बैंक को उक्त कार्ड खाते के संबंध में देय और बकाया सभी राशियों का भुगतान प्राप्त होने पर ही समाप्ति प्रभावी होगी ।

किसी भी समय किसी भी क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट सीमा और नकद सीमा पंजाब नैशनल बैंक के पूर्ण एकल विवेकाधिकार पर निर्भर है।

एक वर्ष से अधिक समय तक क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं होने पर बैंक, कार्ड को बंद करने की प्रक्रिया आरंभ कर देगा । बैंक ऐसे मामलों में ग्राहक को सूचित करेगा, और यदि सूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई प्रतिक्रिया नही मिलती है तो, बैंक कार्डधारक द्वारा सभी बकाया राशि के भुगतान के बाद कार्ड खाता बंद कर देगा।

यदि किसी कार्डधारक के पास बंद होने के समय नेगेटिव रिवॉर्ड पॉइंट शेष है, तो रिवॉर्ड पॉइंट शेष के बराबर के मूल्य को स्टेटमेंट डेबिट में परिवर्तित कर दिया जाएगा और कार्डधारक को अन्य सभी देय राशियों का भुगतान भी करना होगा। कार्ड खाते को रद्द करने की प्रक्रिया उसके सभी बकाया राशियों के भुगतान के बाद प्रभावी होगी । कोई भी वार्षिक, ज्वाइनिंग या नवीनीकरण शुल्क आनुपातिक आधार पर वापस नहीं किया जाएगा।

उदाहरण - समापन के समय नेगेटिव रिवॉर्ड पॉइंट शेष : -1000

बंद होने पर, -1000 नेगेटिव रिवॉर्ड पॉइंट बैलेंस को 500 रू. के स्टेटमेंट डेबिट में परिवर्तित कर दिया जाएगा अर्थात 1000 नेगेटिव रिवॉर्ड पॉइंट x 0.50 रू. प्रति रिवॉर्ड पॉइंट (यह रूपांतरण मूल्य विभिन्न कार्ड वेरिएंट के लिए भिन्न हो सकता है)। इस राशि की कटौती कार्डधारक के खाते से की जाएगी और कार्डधारक को इसका भुगतान किसी भी अन्य बकाया राशि के साथ करना होगा।

नोट: वर्तमान में 1 रिवॉर्ड प्वाइंट का मूल्य 50 पैसे है , पंजाब नैशनल बैंक अपने एकल विवेकानुसार रिवॉर्ड प्वाइंट के मूल्य में परिवर्तन करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है ।

I) कार्ड का खोना / चोरी और **दुरुपयोग**

यदि आपका कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है, यदि किसी तीसरे व्यक्ति को आपका पिन या अन्य सुरक्षा जानकारी ज्ञात हो जाती है, या इसे आपकी अनुमति के बिना उपयोग किया जा रहा है, तो आपको तत्काल बैंक को सूचित करना चाहिए।

नजदीकी पुलिस स्टेशन में तुरंत पुलिस शिकायत / प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जानी चाहिए, जिसकी एक प्रति बैंक को जमा कारवाई जानी चाहिए। दुरुपयोग की स्थिति में, बैंक की देनदारी नीति के नियमों और शर्तों का पालन करते हुए, खोए हुए कार्ड के देनदारी के अंतर्गत कवर की गई धनराशि की सीमा तक ही सीमित रहेगी । एटीएम या पिन/पासवर्ड/ओटीपी/ एमपिन /सीवीवी आधारित किसी भी लेन-देन में कार्ड का दुरुपयोग होने पर कार्डधारक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

ग्राहक क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने के लिए पीएनबी जिनी ऐप का उपयोग कर सकते हैं या हमारे ग्राहक सेवा नंबर 18001802345 पर कॉल कर सकते हैं।

जे) पिन को सुरक्षित रखने के संबंध में सूचना

कार्डधारक को ही कार्ड के साथ उपयोग के लिए जारी की गई व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) या कार्डधारक द्वारा चुने गए किसी भी पिन नंबर की जानकारी होनी चाहिए । यह कार्ड केवल कार्डधारक के निजी उपयोग के लिए है, और इसे किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और यह पूर्ण रूप से गोपनीय है। पिन नंबर का लिखित रिकॉर्ड किसी भी रूप, स्थल या तरीके से नहीं रखा जाना चाहिए जिससे कोई तृतीय पक्ष इसका उपयोग कर सके । किसी भी परिस्थिति में, किसी भी माध्यम से, स्वेच्छा से या अन्यथा, पिन का प्रकटीकरण किसी तीसरे पक्ष को नही किया जाना चाहिए, चाहे वह बैंक के कर्मचारी हों या व्यापारिक प्रतिष्ठान हो । बैंक कार्डधारक को छोड़कर अन्य किसी को भी कार्डधारक का पिन जारी करते समय सावधानी बरतेगा।

के) चूक(**डिफ़ॉल्ट**)

1) चूक की स्थिति में, अर्थात यदि न्यूनतम देय राशि का भुगतान नियत तिथि तक नहीं किया जाता है या कार्ड सदस्य द्वारा अनुबंध के किसी भी खंड का उल्लंघन किया जाता है, तो कार्डधारक को पोस्ट, फैक्स, टेलीफोन, ई- मेल, एसएमएस संदेश और/या नियुक्त तीसरे पक्ष के माध्यम से बकाया राशि वसूलने के लिए समय-समय पर अनुस्मारक भेजे जाएंगे । बकाया राशि की वसूली के लिए नियुक्त किए गए तीसरे पक्ष को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) संहिता का पालन करना होगा।

2) ग्राहकों को नियत तिथि के बाद भी 3 दिनों की अतिरिक्त समय अवधि दी जाएगी, जहां भुगतान अतिदेय नहीं है। यह सुविधा भुगतान प्रक्रिया के समय को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जाती है, हालांकि, ग्राहक को अपने क्रेडिट कार्ड विवरण में उल्लेखित भुगतान की नियत तिथि तक अपनी बकाया राशि जमा करनी होगी ।

3) बैंक 'अतीत देय' के रूप में क्रेडिट कार्ड खाते की सूचना क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को देगा और जब कोई क्रेडिट कार्ड खाता 3 दिनों से अधिक समय तक 'अतीत देय' रहेगा तो विलंब भुगतान प्रभार लगाया जाएगा। हालाँकि, 'बकाया दिनों' की गणना और देरी से भुगतान शुल्क की गणना क्रेडिट कार्ड विवरण में उल्लिखित भुगतान की नियत तिथि से की जाएगी। क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) को क्रेडिट कार्डधारक की चूक(डिफ़ॉल्ट) की स्थिति की सूचना देने से पहले, बैंक कार्डधारक को पोस्ट, फैक्स, टेलीफोन, ई-मेल, एसएमएस संदेश आदि द्वारा स्थिति की सूचना से अवगत काराएगा करेगा। ये सूचना बैंक के पास पंजीकृत पते/मोबाइल नंबर/टेलीफोन नंबर/ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी ।

4) जब कार्डधारक चूक करता है, तो बैंक अपने एकल विवेकाधिकर पर निम्नलिखित के लिए हकदार होगा:

a. कार्डधारक से सभी क्रेडिट कार्ड सुविधाएं वापस लेने के लिए।
b. कार्डधारक से तुरंत उसके कार्ड पर सभी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहने/भुगतान का निर्देश देने के लिए ।
c. बैंक को कार्डधारक के नाम पर संग्रहीत किसी भी धन/जमा/खाते के प्रति बकाया राशि को अधिग्रहण और सेट-ऑफ करने का अधिकार होगा।

5) चूक के मामले में, बैंक चूक रिपोर्ट को क्रेडिट सूचना ब्यूरो या विधिक रूप से मान्यता प्राप्त अन्य एजेंसियों को भेज सकता है। भुगतान की नियत तिथि और बिलिंग विवरण पर दर्शाई गई बिलिंग तिथि के बीच की समय अवधि को कार्डधारक को चूककर्ता के रूप में रिपोर्ट करने के की अवधि के रूप में माना जाता है।

6) बैंक, अपने एकल विवेकाधिकार के आधार पर क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को जारी की गई निम्नलिखित किसी भी घटना में चूक रिपोर्ट को वापस ले सकता है:-

क) बकाया निपटान के मामले में, चूककर्ता ने बैंक को अपनी पूरी बकाया राशि जमा कर दी है या अपने बकाया राशि का निपटान कर दिया है तो सीआईसी की रिपोर्ट में यह निपटान किए गए खाते के रूप में प्रदर्शित होगा।

ख) बैंक को न्यायालय द्वारा कार्डधारक डी लिस्ट करने का आदेश निर्देश के साथ प्राप्त हुआ हो।.

ग) बैंक द्वारा मामला-दर-मामला के आधार पर व्यक्तिगत रूप से समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।

घ) यदि ग्राहक चूककर्ता के रूप में रिपोर्ट किए जाने के बाद अपने बकाया का भुगतान करता है/करती है, तो बैंक, निपटान की तिथि से 30 दिनों के भीतर सीआईसी को स्थिति से अवगत कराएगा। लेकिन उन कार्डों के मामले में जहां विवाद लंबित हैं, सूचना का खुलासा /जारी करना, विशेष रूप से चूक (डिफ़ॉल्ट) के बारे में, विवाद के निपटारे के बाद ही किया जाएगा।

5). कार्डधारक की मृत्यु/स्थायी रूप से अक्षम होने की स्थिति में बकाया राशि की वसूली: संपूर्ण बकाया शेष (बिना बिल वाले लेन-देन सहित) पंजाब नैशनल बैंक को तुरंत देय हो जाएगी । पंजाब नैशनल बैंक को कार्डधारक की संपत्ति से सम्पूर्ण बकाया राशि की वसूली का अधिकार होगा। बैंक कार्डधारक के नाम पर रखे गए धन/जमा/खातों से कुल बकाया राशि वसूलने का भी हकदार होगा।

एल) प्रकटीकरण

पंजाब नैशनल बैंक आरबीआई द्वारा अधिकृत क्रेडिट ब्यूरो के साथ गठजोड़ कर सकता है और वर्तमान शेष, पूर्व भुगतान विवरण, जनसांख्यिकीय विवरण आदि सहित परंतु केवल इन्हीं तक सीमित नही, क्रेडिट जानकारी साझा करेगा। क्रेडिट ब्यूरो इस बात से संबंधित कोई अभिमत, संकेत या टिप्पणी प्रदान नहीं करता है कि क्रेडिट दिया जाना चाहिए या नहीं। समय पर आवश्यक देय राशि का भुगतान करके एक बेहतर क्रेडिट इतिहास बनाए रखना सबके हित में है। क्रेडिट ब्यूरो के साथ, जिम्मेदार ग्राहक क्रेडिट प्रदाताओं से बेहतर शर्तों पर तेजी से और अधिक प्रतिस्पर्धी सेवाओं की उम्मीद कर सकते

हैं। ग्राहकों द्वारा की गई चूक क्रेडिट ब्यूरो के पास उपलब्ध रहेगी जो भविष्य की आवश्यकताओं के लिए आपकी क्रेडिट योग्यता को प्रभावित करेगी। पंजाब नैशनल बैंक मासिक आधार पर या बैंक और क्रेडिट ब्यूरो के बीच सहमति के अनुसार ऐसी अन्य समयावधि पर क्रेडिट ब्यूरो को ग्राहक संबंधी जानकारी रिपोर्ट करेगा। पंजाब नैशनल बैंक के संगयान में आए किसी भी बिलिंग विवाद की स्थिति में, बैंक विवाद के समाधान तक क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्टिंग को निलंबित कर देगा। कार्डधारक स्वीकार करता है कि पंजाब नैशनल बैंक कार्डधारक/ऐड-ऑन कार्डधारक (कार्डधारकों) से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए अधिकृत है, समय-समय पर बैंक द्वारा यथानिर्धारित मौजूदा या अन्य क्रेडिट ब्यूरोस के साथ जैसा उचित व आवश्यक समझे, कार्डधारक द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में की गई किसी भी प्रकार की चूक सहित अन्य जानकारी साझा करना शामिल है । तदानुसार, ऐड-ऑन कार्डधारक (ओं) की भी इस तरह के क्रेडिट ब्यूरो को जानकारी साझा करने की सहमति मानी जाएगी। ऐसी संस्थाएं आगे बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट प्रदाताओं को संसाधित जानकारी या डेटा या उत्पाद उपलब्ध करा सकती हैं। क्रेडिट ब्यूरोस में, क्रेडिट संदर्भ एजेंसियां, क्रेडिट सूचना कंपनियां या उधारकर्ताओं से संबंधित क्रेडिट जानकारी एकत्र करने, संग्रहित करने और प्रसारित करने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा गठित और अधिकृत कोई अन्य इकाई शामिल है।

पंजाब नैशनल बैंक अन्य मर्चेंट / कॉर्पोरेट के साथ संयुक्त रूप से सह-ब्रांड क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है। बैंक इस व्यवस्था के तहत भागीदार व्यापारी/कॉर्पोरेट के साथ राजस्व/शुल्क साझा कर सकता है। यह पीएनबी पतंजलि रुपे प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, पीएनबी पतंजलि रुपे सलेक्ट क्रेडिट कार्ड, पीएनबी ईजमाइट्रिप क्रेडिट कार्ड और भविष्य में बैंक की किसी अन्य सह-ब्रांडिंग व्यवस्था जैसे सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर लागू होगा।

कार्ड धारक स्वीकार करता है कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड एप्लिकेशन में अपने नाम पर पंजीकृत मोबाइल नंबर प्रदान किया है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि क्रेडिट कार्ड आवेदन के दौरान प्रदान किया गया मोबाइल नंबर कार्ड धारक के नाम पर पंजीकृत नहीं है, तो वे क्रेडिट कार्ड पर मोबाइल नंबर के माध्यम से की गई किसी भी गतिविधि/लेन-देन के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार होंगे।

पंजाब नैशनल बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है। कृपया बीसीएसबीआई कोड के तहत हमारी प्रतिबद्धताओं को देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं।

एम) मध्यस्थता खंड

उपरोक्त के कारण होने वाले सभी विवाद, मतभेद और/या दावे या प्रश्न, या किसी भी तरह से उसी के संबंध में या उसके निर्माण, अर्थ या प्रभाव के बारे में या इसके तहत पार्टियों के अधिकार, दायित्वों और देनदारियों के बारे में संदर्भित किया जाएगा और मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाएगा, जो मध्यस्थता और समाधान अधिनियम, 1996 के प्रावधानों या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन, ऋणदाता / बैंक द्वारा नामित किए जाने वाले एकल मध्यस्थ के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति की मृत्यु, अनिच्छा, अस्वीकृति, उपेक्षा, असमर्थता या अक्षमता की स्थिति में, मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए, ऋणदाता / बैंक एक नए मध्यस्थ को एकल मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कर सकता है। मध्यस्थ को अधिनिर्णय के लिए कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं होगी और मध्यस्थ का अधिनिर्णय अंतिम और संबंधित सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही केवल नई दिल्ली में होगी।

एन) निषेध खंड

लॉटरी टिकट, प्रतिबंधित या निषिद्ध पत्रिकाओं जैसी निषिद्ध वस्तुओं की खरीद, घुड़दौड़ में भागीदारी, कॉल बैक सेवाओं के लिए भुगतान, और/या ऐसी वस्तुओं/गतिविधियों के लिए जिनके लिए विदेशी मुद्रा के आहरण की अनुमति नही है, क्रेडिट कार्ड का उपयोग इंटरनेट पर या अन्यथा नहीं किया जा सकता है।

ओ) फेमा (विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम)

i) भारत के बाहर लेन-देन के लिए कार्ड का उपयोग लागू कानून के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसमें आरबीआई के विनिमय नियंत्रण विनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 शामिल हैं, और ऐसा करने में किसी भी विफलता की स्थिति में, प्रचलित मानदंडों के अनुसार कार्रवाई के लिए आप उत्तरदायी हो सकते हैं।

ii) क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक/इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता है। नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार यह निषिद्ध है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ।

iii) यह कार्ड भारत के साथ-साथ विदेश में भी उपयोग के लिए वैध है। हालाँकि, यह नेपाल और भूटान में विदेशी मुद्रा लेन-देन करने के लिए मान्य नहीं है।

iv) केवल एनआरआई ग्राहकों के लिए पंजाब नैशनल बैंक एनआरई खाते से ऑटो पे मोड के माध्यम से 100% भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए ।

v) एनआरआई ग्राहकों के लिए नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पी) कार्ड खाते में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन

1) बैंक उन ग्राहकों को एटीएम से नकदी निकासी के अतिरिक्त अन्य इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन की सुविधा प्रदान नहीं करेगा जो बैंक को वैध मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं कराते हैं।

2) यदि ग्राहक को उपलब्ध कराए गए किसी भी विवरण/रिकॉर्ड पर लेन-देन/शेष के विवरण में कोई विसंगतियां मौजूद हैं, तो ग्राहक सात (7) दिनों के भीतर बैंक को लिखित रूप में सूचित करेगा।

3) यदि बैंक को सात (7) कार्य दिवसों के बाद कोई विपरीत सूचना प्राप्त होती है, तो ग्राहक की जवाबदेही बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

MITC

4) आपके निर्देशों और ऐसे अन्य विवरणों के सभी रिकॉर्ड (जिनमें किए गए या प्राप्त किए गए भुगतान परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं शामिल हैं) जो बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी रूप में यहां दी गई शर्तों और नियमों के अनुसार बनाए गए हैं, आपके विरुद्ध ऐसे निर्देशों और ऐसे अन्य विवरणों के निर्णायक साक्ष्य माने जाएंगे।

5) रिपोर्टिंग के समय और/या खाते पर किए गए लेन-देन या उक्त खाते से संबंधित किसी अन्य मामले से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में, बैंक विवादित लेन-देन के समय और/या प्रामाणिकता का पता लगाने का अधिकार सुरक्षित रखेगा और तीसरे पक्ष के धोखाधड़ी के कारण आपके कार्ड खाते में अनधिकृत लेन-देन के मामले में या जहां आपने धोखाधड़ी में योगदान नहीं दिया है, वहां आपका दायित्व आरबीआई परिपत्र "ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में ग्राहकों की सीमित देयता" में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित होगा और समय-समय पर संशोधित नियमों में कोई भी बदलाव उस समय लागू और बाध्यकारी होगा।

ग्राहक सेवा/ग्राहक निवारण संपर्क विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.pnbindia.in और www.pnbcard.in देखें।

क्यू) सुरक्षित क्रेडिट कार्ड

1) सावधि जमा, सुरक्षित क्रेडिट कार्ड या बैंक द्वारा स्वीकृत किसी अन्य क्रेडिट सुविधा के अंतर्गत ग्राहक की ओर से बैंक को देय सभी प्रकार की धनराशि के विरुद्ध अंतिम शेष की सतत सुरक्षा के रूप में कार्य करेगा।
2) चूक(डिफॉल्ट) या क्रेडिट सुविधा/सुविधाओं की मांग पर पुनर्भुगतान नही होने की स्थिति में, बैंक द्वारा उचित समझे जाने पर एतदद्वारा किसी भी समय प्रस्तुत या रखी गई सावधि/मियादी जमा का समय से पहले नकदीकरण अथवा प्रतिभूतियों/सावधि या मियादी जमा का समंजन(सेटऑफ) या संवृद्धि(अप लिफ्ट) या उन्हे अंतरित/ समनुदेशित या पुन: समनुदेशित कर सकता है और बैंक अपनी किसी भी शाखा में ग्राहक के सभी खातों की देनदारियों को समाप्त करते हुए बकाया शुद्ध राशि का समायोजन कर सकता है।
3) बैंक अपने एकल विवेकाधिकार का प्रयोग कर ग्राहक की पात्रता के आधार पर सुरक्षित क्रेडिट कार्ड से लिंक सावधि जमा से ग्रहणाधिकार हटा सकता है।

आर. कार्डधारकों के लिए बीमा कवर

बीमा कवर, कार्ड के प्रकार और कार्ड नेटवर्क द्वारा प्रदान की गई सुविधा के आधार पर लागू होगा, बैंक बीमा भागीदारों के साथ विवरण साझा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

कार्ड खोने पर शून्य देयता: कार्डधारक द्वारा क्रेडिट कार्ड खोने/चोरी होने के बारे में पंजाब नैशनल बैंक को दी गई सूचना की तिथि से धोखाधड़ी वाली खरीद लेन-देन के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है। यह कवर केवल धोखाधड़ी वाले भुगतान लेन-देन के लिए वैध है और इसके लिए अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज कराना होगा। यह बीमा कवर एटीएम और ओटीपी/पिन आधारित लेन-देन के लिए वैध नहीं है।

MITC

एस) विशेष उल्लेखित खाता (एसएमए) और गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण

विनियामक दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, ऋणदाताओं द्वारा उधारकर्ता खातों में प्रारंभिक तनाव को तुरंत चिह्नित करने के लिए, उन्हें विशेष उल्लेखित खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकरण अपेक्षित है। एसएमए के साथ-साथ एनपीए के रूप में उधारकर्ता खातों का वर्गीकरण प्रासंगिक तिथि पर डे-एंड प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाएगा और एसएमए या एनपीए वर्गीकरण की तिथि एक कैलेंडर तिथि होगी जिसके लिए डे-एंड की प्रक्रिया चलाई गई है। तदनुसार, एसएमए/एनपीए की तिथि उस कैलेंडर तिथि के डे-एंड में खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी। ऐसे वर्गीकरण का एक उदाहरण इस प्रकार है:

- **एसएमए 0** - यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2024 है, और इस तिथि तक पूर्ण बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, तो खाता 31 मार्च, 2024 के अंत में एसएमए 0 हो जाएगा।
- **एसएमए 1** - यदि यह लगातार अतिदेय बना रहता है, तो यह खाता लगातार अतिदेय रहने के 30 दिन पूरे होने पर अर्थात 30 अप्रैल, 2024 को एसएमए-1 के रूप में टैग हो जाएगा।
- **एसएमए 2** - यदि खाता लगातार अतिदेय बना रहता है, तो 30 मई 2024 को लगातार अतिदेय रहने के 60 दिन पूरे होने पर इसे एसएमए-2 के रूप में टैग कर दिया जाएगा।
- **एनपीए** - यदि खाता आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे लगातार अतिदेय रहने के 90 दिन पूरे होने पर 29 जून 2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीए के रूप में खातों का वर्गीकरण उधारकर्तावार किया जाता है न कि सुविधावार और इसलिए, यह नोट किया जाए कि बैंक से प्राप्त किसी भी सुविधा के लिए ग्राहक द्वारा बकाया के भुगतान न करने एवं इसके परिणामस्वरूप खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने के मामले में, बैंक के साथ उधारकर्ता/कार्ड धारक के अन्य सभी ऋण/ क्रेडिट कार्ड एवं अन्य खाते भी एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत हो जाएंगे और बैंक को अधिकार होगा कि ग्राहक के ऐसे सभी ऋण/क्रेडिट कार्ड/सुविधाओं को बंद कर दे चाहे उन खातों में नियमित भुगतान हो रहा हो।
मान लीजिए कि मिस्टर एक्स के पास एक क्रेडिट कार्ड, एक कार ऋण और एक कारोबार ऋण है, यदि इन तीनों में से कोई भी एनपीए हो जाएगा तो सभी तीन खातों को एनपीए के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

अस्वीकरण:

बैंक, बैंक के कर्मचारी, एजेंट या ठेकेदार किसी भी प्रकार की हानि या क्षति चाहे वह प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष या परिणामी हो जिसमें सम्मिलित है राजस्व,लाभ, कारोबार, अनुबंध,अनुमानित बचत या ख्याति की

हानि, सॉफ्टवेयर सहित किसी भी उपकरण के प्रयोग या मूल्य की हानि चाहे वह अनुमानित हो या नही, उपयोगकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के कारण, भले ही किसी विलंब, रुकावट, निलंबन, संकल्प या अनुरोध की प्राप्ति या प्रसंस्करण में बैंक की त्रुटि तथा किसी भी विफलता,विलंब, रुकावट, निलंबन, सीमा या उपयोगकर्ता के दूरसंचार उपकरण को भेजे या से प्राप्त किसी भी सूचना या संदेश के आवागमन और किसी सेवाप्रदाता के नेटवर्क एवं बैंक की प्रणाली में त्रुटि अथवा उपयोगकर्ता, बैंक प्रणाली या किसी सेवाप्रदाता के नेटवर्क और/या किसी तृतीय पक्ष जो उक्त सुविधा प्रदान करने के लिए ऐसी सेवाएँ प्रदान करते हैं, के किसी भी ब्रेकडाउन, रुकावट, निलंबन या दूरसंचार उपकरण की विफलता के लिए उत्तरदायी नही होंगे ।

पंजाब नेशनल बैंक अपने उत्पादों के संबंध में अपेक्षित या आवश्यक होने पर बाहरी सेवा प्रदाताओं या एजेंटों की सेवाओं का उपयोग करने का सम्पूर्ण एकाधिकार रखता है ।

1. पंजाब नेशनल बैंक कभी भी कार्ड सीवीवी, पिन, ओटीपी या इंटरनेट पासवर्ड नहीं मांगेगा ताकि किसी भी सौदे, उपहार, वाउचर, रिवार्ड पॉइंट्स का मोचन, कार्ड को सक्रिय या रद्द किया जा सके। कृपया ऐसे अनुरोधों को कॉल/ईमेल पर अनदेखा करें। किसी भी पत्राचार से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर पंजाब नेशनल बैंक संपर्क नंबर की पुष्टि करें।
2. किसी भी ऑनलाइन/ई-कॉम लेन-देन को शुरू करने से पहले कृपया वेबसाइट और/या पोर्टल की प्रामाणिकता सुनिश्चित करें। फर्जी वेबसाइटों के प्रति जागरूक रहें जो आपके साथ धन-संबंधी धोखाधड़ी करते हैं।
3. बैंक द्वारा जारी किया गया कार्ड ग्राहक के व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। बैंक किसी तृतीय पक्ष की ओर से किए गए लेन-देन या लाभ को प्रोत्साहित या समर्थन नहीं करता है।
4. अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के लिए मर्चेंट रिफंड/विवादों के मामले में, मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण दरों में उत्पन्न कोई भी अंतर ग्राहक द्वारा वहन किया जाएगा।

संपर्क सूत्र

शिकायत निवारण/वृद्धि

बैंक के साथ हाल ही में किए गए किसी संपर्क के जवाब से संतुष्ट न होने की दुर्लभ स्थिति में, आप निम्नानुसार निर्दिष्ट कार्य घंटों के बीच हमारे अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं:

श्री पवन प्रकाश (मुख्य प्रबंधक),
पंजाब नैशनल बैंक, शिकायत निवारण कक्ष
क्रेडिट कार्ड प्रसंस्करण केंद्र, भूतल
सी-24, सेक्टर 58, नोएडा उत्तर प्रदेश 201301।
हेल्पलाइन: -0120-4478925/ 8826204600
ई-मेल: creditcardho@pnb.co.in
कार्ड जारीकर्ता बैंक का पूरा डाक पता :

पंजाब नैशनल बैंक,

क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग सेंटर, सी-24, सेक्टर 58, नोएडा उत्तर प्रदेश 201301।

ग्राहक सेवा नंबर: **0120- 4616200। ईमेल :** Creditcardpnb@pnb.co.in

ग्राहक सेवा के लिए टोल फ्री नंबर सेवा :

कार्डधारक टोल फ्री नंबर **1800 180 2345** या पीएनबी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य टेलीफोन नंबरों पर संपर्क कर सकता है।

. पंजीकृत मेल आईडी/मोबाइल नंबर से भेजे गए अनुरोध स्वीकार किए जाएंगे।

[नोट: एमआईटीसी में किसी भी परिवर्तन को देखने के लिए कृपया नियमित अंतराल पर www.pnbcard.in पर जाएं]

MITC